

प्रपत्र-8

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, राशमी जिला चित्तौड़गढ़
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प राशमी

आदेश :-

प्राप्तों के "खाता दुर्लसी" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी राशमी
व भूअ.नि. राशमी की रिपोर्ट तथा तहसीलदार राशमी / नायब
तहसीलदार राशमी की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम
1956 की धारा 133 के अन्तर्गत में ज. राशमी तहसील राशमी व
जिला राजसमन्द की जमाबन्दी संवत् 2020 में खाता संख्या 222 में
वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि का निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल
दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

| क्र.सं. | ग्राम | जा या | वर्तमान प्रविष्टि (शुद्ध प्रविष्टि) | आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है) |
|---------|------------------------------|------------|--|--|
| 1 | <u>राशमी</u> <u>राशमी</u> | <u>222</u> | <u>लेखी बर्ड जीत</u> <u>मिहल लाल</u> <u>जाति शेर</u> | <u>लेखी बर्ड जीत</u> <u>शेहन लाल</u> <u>जाति शेर</u> |

राशमी
पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, राशमी

क्रमांक- 227/2021
प्रतिलिपि :-

दिनांक :- 25/10/2021

1. तहसीलदार राशमी को सूचना है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में
आगत दरामद शोध किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवावे।
2. प्राप्ति की राशमी को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रवली।

राशमी
पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
राशमी

